



षोडश
बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

बृहस्पतिवार, तिथि 08 अग्रहायण, 1940 (श10)
29 नवम्बर, 2018 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 01

(1) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

01

कुल योग —

01

कार्रवाई करना

6. श्री कुमार सर्वजीत—स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 29 सितम्बर, 2018 को प्रकाशित शीर्षक “17 जिलों के अफसर, एजेंट और डीलरों ने खुले बाजार में बेच दिया 45 करोड़ का चावल-गेहूँ” को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला में 6,703 क्विंटल चावल और 1,746 क्विंटल गेहूँ, पटना जिला में 1,000 बोरा चावल और 1,044 बोरा गेहूँ तथा गया जिला में 19.42 करोड़ मूल्य का चावल एवं गेहूँ सहित 17 जिलों के अफसर, एजेंट और डीलरों ने खुले बाजार में 45.00 करोड़ रुपया का चावल एवं गेहूँ कालाबाजारी के तहत बेच दिया है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 29 नवम्बर, 2018 (ई0) ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।